पत्रांक – 120 दिनांक – 10.2.2023
सेवा में,
शाखा प्रबंधक, Rudraksha

अनुसूची २१—प्रपत्र सं० ११३।

# संपत्ति - अवभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० – – 88 – – /2023

आवेदन सं० 3टन्म/7 – २० .1 7.2.2023

चूंकि श्री Pojo – Binod kumar ... – – – – ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। Pramod kumar Shaw

( आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें )

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही १ मे और उससे सम्बद्ध अनुक्रमनियों में सा० 2014 २० से सा० 30 जनवरी 2023 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों और अवभारों का पता चला :–

अब भार से मुक्त

| क्रम संख्या | (क) संपत्ति का विवरण | निष्पादन की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों का नाम | | दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निष्पादन | दावेदार | जिल्द संख्या | पृष्ठ | पृ० |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| 1. | मौजा – Punsiya खाता न० – 579 प्लाट न० – 1125 – जमाबंदी न० – 108 रकबा – 29.25 डिसमल | | | | | | | |

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १ बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बश कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२ पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें।

Scanned with OKEN Scanner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों की खोज, उक्त संपत्ति की बाबत प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

( हस्ताक्षर ) :—

( पदनाम ) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

( हस्ताक्षर ) :— A.K. Choudhary

( पदनाम ) :— Leclerk

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय देवघर

तारीख

जिला अवर निबंधक
मुहर
सत्यमेव जयते
देवघर का मुहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
10/7/2023

टिप्पणी (१)–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ( ट्रान्जेक्सन्स ) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्त्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूढे गये गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र मे दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो। अधिवक्ता के तलाशी एवं अवभार से मुक्त का प्रमाण पत्र देने के उपरान्त NEC निर्गत।